न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
27/2012/प्रा.पत्र/2012	20.07.2012	29.08.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक .... प्रार्थी

बनाम

1– श्री राकेश कुमार जैन पुत्र रतन लाल जैन निवासी काफला बाजार टोंक जिला टोंक प्रोपराईटर मैसर्स रिखब चन्द रामजीवन काफला बाजार टोंक
2– मैसर्स रिखब चन्द रामजीवन काफला बाजार टोंक
3–श्री विजय कुमार पुत्र सावर मल 60 अग्रवाल मार्केट मिश्रराजा जी का रास्ता जयपुर प्रोपराईटर मैसर्स चेतन सेल्स एजेन्सी 60 अग्रवाल मार्केट मिश्रराजा जी का रास्ता जयपुर
4– मैसर्स चेतन सेल्स एजेन्सी 60 अग्रवाल मार्केट मिश्रराजा जी का रास्ता जयपुर
5–श्री सत्यावन पुत्र बीर सिंह निवासी मकान नं0 86 ग्राम नाथुपुर तहसील सोनीपत जिला सोनीपत हरियाणा नोमीनी मैसर्स सोम पान प्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटेड युनिट–2 सी–123 नरेना ईण्डस्ट्रीयल एरिया फेज–1 नई दिल्ली
6– मैसर्स सोम पान प्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटेड युनिट–2 सी–123 नरेना ईण्डस्ट्रीयल एरिया फेज–1 नई दिल्ली

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (iv) एवं दण्डनीय धारा 58

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 29.08.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.01.2012 को समय 5.10 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स रिखब चन्द रामजीवन काफला बाजार टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री राकेश कुमार जैन पुत्र रतन लाल जैन निवासी काफला बाजार टोंक जिला टोंक प्रोपराईटर मैसर्स रिखब चन्द रामजीवन काफला बाजार टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार कियां एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना जाहिर किया है।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान मे **दिलबाग गुटका** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री राकेश कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता राकेश कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

928

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा दुकान मे रखे **दिलबाग गुटका** के कागज के 5 कार्टूनो लगभग 250 पेकेट के पोली पेक मे से 8 पेकेट मूल अवस्था मे वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री राकेश कुमार जैन को रु 720/–अक्षरे सात सौ बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **दिलबाग गुटका** 8 पेकेट मूल अवस्था के 4 भाग तैयार कर चार साफ एंव सुखे प्लास्टिक के डिब्बे मे दो–दो पेकेट बराबर–बराबर अलग–अलग ज्यो का त्यो डिब्बो के ढक्कन को एयर टाईट बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी. ओ.कोड एवं कमांक I–101 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–101 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. राकेश कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री राकेश कुमार जैन ने मौके पर **दिलबाग गुटका** बतोर वारन्टी मैसर्स चेतन सेल्स एजेन्सी 60 अग्रवाल मार्केट मिश्रराजा जी का रास्ता जयपुर का बिल कमांक/ इन्वॉइस नं. 7214 दिनांक 03.11. 2011 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स चेतन सेल्स एजेन्सी 60 अग्रवाल मार्केट मिश्रराजा जी का रास्ता जयपुर ने मैसर्स सोम पान प्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटेड युनिट–2 सी–123 नरेना ईण्डस्ट्रीयल एरिया फेज–1 नई दिल्ली का बिल कमांक/ इन्वॉइस नं. 2211 दिनांक 03.11.2011 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./12/764 दिनांक 02.03.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/07/एक्ट/2012/07 दिनांक 24.01. 2012 अनुसार राकेश कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **दिलबाग गुटका** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **Contravene** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **Contravene** स्तर का **दिलबाग गुटका** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(iv) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **दिलबाग गुटका** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **Contravene** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **दिलबाग गुटका** का नमूना जांच में **Contravene** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

929

Scanned by CamScanner

सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(iv) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 अप्रार्थी श्री राकेश कुमार जैन पुत्र रतन लाल जैन निवासी काफला बाजार टोंक जिला टोंक प्रोपराईटर मैसर्स रिखब चन्द रामजीवन काफला बाजार टोंक पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पांच हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.08.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner